रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30072021-228579
CG-DL-W-30072021-228579

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जुलाई 18 - जुलाई 24, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 27- श्रावण 2, 1943
No. 24] NEW DELHI, JULY 18 - JULY 24, 2021, SATURDAY/ ASHADHA 27 - SRAVANA 2, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2018, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential Qualification:** (i) Bachelors Degree in Veterinary Science or Masters Degree in Pharmacology or Toxicology from a recognized university or Institute, and; (ii) Minimum ten years experience in lab or hospital or institution in the field of Pharmacology or Toxicology. **Desirable Qualification:** Masters Degree in Veterinary Science with specialization in Pharmacology or Toxicology or Doctorate Degree in Pharmacology or Toxicology from a recognized university or Institute. **Note 1**: The Departmental Deputy Director (Toxicology) working in level-11 (Rs.67700-208700) of the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing the requisite educational qualifications and Experience prescribed for deputationists will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled up by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F.No. 12028/1/2019-PP Estt (e-77856)]

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान,कसौली (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम 1965, जहां तक उनका संबंध तकनीशियन के पद से है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान,कसौली में तकनीशियन के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है!

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	आयु- सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीशियन	13 (तेरह) (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं पास 2. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नति: संस्थान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर2- (19900–.63200 रूपये) में बॉयलर अटेंडेंट और आर्मेचर वाइन्डरर वेल्ड-सह-ने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित जिन्हों सेवा की है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	**समूह'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-** (1). मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -अध्यक्ष ; (2). सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – सदस्य; (3).प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – सदस्य; (4). सैनिक अस्पताल के कमान अफसर या प्राधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-** (1). मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -अध्यक्ष ; (2). सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान	लागू नहीं होता।

	संस्थान, कसौली – सदस्य; (3).प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – सदस्य; (4). सैनिक अस्पताल के कमान अफसर या प्राधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य।	

[फा. सं.ए-12018/02/2020-ईपीआई]

जी.के.पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July, 2021

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Class III and Class IV posts), Recruitment Rules, 1965, in so far as it relates to the post of **Technician**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulation the method of recruitment to the post of **Technician** in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1.**Short title and commencement.— (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Technician (**Group 'C'** Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No persons,-

(**a)** who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(**b)** who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician	13 (Thirteen) 2021 *Subject to variation dependent on	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of

	workload.				forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1. 12th class pass from a recognised Board. 2. Three year Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics or Electronics and Communication or Instrumentation Engineering from all India Council for Technical Education approved Government recognised Institute or University.	Not applicable	Two years for direct recruitment	Fifty per cent by direct recruitment. Fifty per cent by promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Boiler Attendant and Armature Winder-cum-Welder of the institute in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade, failing which direct recruitment.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -** (1) Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade), Central Research Institute, Kasauli - Chairman; (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member;	Not applicable.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli - Member; (4) Commanding officer Military Hospital Kasauli or authorised representative - Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade), Central Research Institute, Kasauli - Chairman; (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member; (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli - Member; (4) Commanding officer Military Hospital Kasauli or authorised representative - Member.	

[F. No. A-12018/02/2020-EPI]

G.K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 79.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, समूह 'घ' पद, भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध पैकर, उपचर्या परिचर, आया, स्ट्रेचर वाहक और पशु परिचारक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उपचर्या परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, उपचर्या परिचर, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।